13/D

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,सवाईमाधोपुर
पीठासीन अधिकारी–श्री महेन्द्र लोढ़ा

निगरानी संख्या 12/14 तारीख रजू– 05/06/14

गोपाल गोयल पुत्र श्री रामस्वरूप गोयल उम्र 42 वर्ष जाति महाजन निवासी खण्डार तहसील खण्डार जिला सवाई माधोपुर। ——निगरानी गुजार (प्रार्थी)

बनाम

1– जितेन्द्र कुमार पुत्र देवकीनन्दन गर्ग जाति महाजन निवासी खण्डार हालवासी जैन किराना मर्चेन्ट की दुकान के उपर ,पुराना कार्यालय नगर परिषद् ,शहर , सवाई माधोपुर के पास , सर्राफा बाजार शहर , सवाई माधोपुर।

2– संरपच महोदय, ग्राम पंचायत खण्डार ,पंचायत समिति,खण्डार जिला सवाई माधोपुर।

–अप्रार्थीगण

निर्णय दिनांक– 19/1/18

अप्रार्थीगण ने यह निगरानी प्रार्थनापत्र ग्राम पंचायत खण्डार के पट्टा संख्या 252 में पारित निर्णय दिनांक 05/01/2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। जिसके द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 नें अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में पट्टा जारी किया है तथा निगरानीगुजार द्वारा निगरानी प्रस्तुत कर पंचायत खण्डार के पट्टा संख्या 252 में पारित निर्णय दिनांक 05/01/2006 निरस्त फरमाने हेतु निवेदन किया है।

निगरानी दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये समन्न तलब किया। अप्रार्थीगण बाद तामील उपस्थित नही होने पर अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई तथा अदालत मातहत की पत्रावली तलब होने पर बहस निगरानी गुजार सुनी गई।

विद्वान वकील निगरानी गुजार (प्रार्थीगण) ने प्रार्थनापत्र मे वर्णित तथ्यो का हवाला देते हुए बहस मे निवेदन किया कि अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय विधि विरूद्ध एवं रूयेदाद मिसल एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के विपरित होने से निरस्तनीय है। अदालत मातहत द्वारा दिनांक 05/04/05 को प्रथम बार पत्रावली पेशी में लायी गयी तथा नक्शा बनाया जाकर पत्रावली दिनांक 20/04/05 को पेश होने बाबत् आदेशित किया गया, लेकिन उक्त नक्शा किसके द्वारा बनाया गया एवं नक्शा मौका देखकर बनाया या बिना मौका देखकर बनाया गया पत्रावली में ऐसा कोई आदेश नहीं है। अदालत मातहत द्वारा आक्षेप नोटिस दिनांक 20/05/05 को जारी किया गया जबकि फेसला फार्म में दिनांक 05/01/06 है। अदालत मातहत द्वारा दिनांक 20/05/05 को निर्णय हेतु पत्रावली रखी गई और निर्णय दिनांक 05/01/06 को कर दिया जबकि निर्णय एक माह में करना था ,साथ ही वकील निगरानी गुजार ने अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय 05/01/06 निरस्त करने हेतु निवेदन किया है।

अति॰ जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

14/D

वकील निगरानीगुजार की बहस सुनने उस पर मनन करने व अदालत मातहत की पत्रावली का अवलोकन करने पर सर्वप्रथम यह पाया गया कि दिनांक 01/04/05 को अप्रार्थी द्वारा अदालत मातहत में निजि दुकान का पट्टा चाहने हेतु आवेदन किया था। उक्त क्रम में अदालत मातहत द्वारा मौका नक्शा लेकर व मौका रिपोर्ट प्राप्त कर दिनांक 20/05/05 को आपत्ति नोटिस एक माह का जारी किया गया तथा दिनांक 20/05/05 को अस्थायी निर्णय भी पारित कर दिया गया तथा दिनांक 05/01/06 को स्थायी निर्णय सुनाया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 के हक में पट्टा जारी किया गया है। अदालत मातहत द्वारा जारी पट्टे पर संरपच ग्राम पंचायत व पदेन सचिव ग्राम पंचायत खण्डार के हस्ताक्षर है तथा पट्टे के पृष्ठ भाग पर उपसरपंच , नक्शा नवीस,पदेन सचिव, सरंपच के हस्ताक्षर अंकित है। मेरे अभिमत में अदालत मातहत द्वारा पट्टा जारी करने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि व नियमों का उल्लधंन नहीं किया है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरीन गुजार द्वारा प्रस्तुत निगरानी अस्वीकार करते हुए ग्राम पंचायत खण्डार के पट्टा संख्या 252 में पारित निर्णय दिनांक 05/01/2006 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 19.1.18 को लिखया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(महेन्द्र लोढ़ा)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर